

(भारत के राजपत्र के भाग 1 खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)


भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक 16 मई, 2017

अधिसूचना

सं.39019/04/2016-स्था.(ख) (भाग) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 खण्ड (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति दिनांक 3 अप्रैल, 2017 के अपराहन से प्रोफेसर डेविड आर. साईमलीह को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 (2) के प्रावधानों के अनुसार उनकी नियुक्ति की अवधि 21.01.2018 तक होगी, जब वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे।

2. उनके वेतन, भत्तों तथा अन्य सेवा शर्तों को संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियमावली द्वारा अभिशासित किया जाता रहेगा जो अनुच्छेद (1क) के अधीन उनकी नियुक्ति की तारीख अर्थात् 04.01.2017 को लागू थी।



(एन श्रीरामन)

निदेशक

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)